

अध्याय-4
कृत्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमान :-

क्रं.	कार्य का प्रकार	आवेदन का विवरण का समय	आवेदन जमा करने समय	प्राधिकारी एवं कार्यालय आवेदन संबोधित किया जावे।	आवेदन जमा करने हेतु सम्पर्क करें।	निर्णय सूचित करने की/आवेदन दिनांक से
1	2	3	4	5	6	7
1	भवन निर्माण मानचित्र अनुज्ञा	आवेदन म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 (1) जहां लागू हो/म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत निर्मित उपविधियों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में मय दस्तावेजों एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उल्लेखित जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।	11.00 बजे से 3.00 बजे	आयुक्त नगर पालिका निगम	सहायंत्री/मानचित्रकार /उपयंत्री भवन अनुज्ञा शाखा	30 दिवस
2	भवन निर्माण अनुज्ञा की समयवधि में वृद्धि	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	30 दिवस
3	भवन पूर्णता: प्रमाण पत्र तथा भवन अधिवासित या उपयोग में लाने की अनुज्ञा	म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956/म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित उपविधियों में				

		निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा	तथैव	तथैव	तथैव	15 दिवस
4	अवैध निर्माण संबंधी शिकायत	शिकायत में अवैध निर्माण नाम, अवैध निर्माण स्थल का पूर्ण पता तथा अवैध निर्माण का प्रकार विवरण एवं शिकायत कर्ता का नाम तथा पूर्ण पते के साथ शिकायत पत्र न.पा.नि./नि.पा./न.पं. में प्रस्तुत किया जावे।	तथैव	आयुक्त, नगर पालिक निगम	तथैव	7 दिवस
5	कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण	म.प्र. नगर पालिका/कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्तें/नियम 1998 के प्रारूप एवं में आवेदन रजिस्ट्रीकरण शुल्क तथा रुपये पांच/तीन लाख की बैंक गारंटी के प्रस्तुत करना होगा।	तथैव	आयुक्त, नगर पालिक निगम	सहायक यंत्री /मानचित्रकार उपयंत्री/भवन अनुज्ञा शाख	30 दिवस

जल प्रदाय कनेक्शन :-

क्रमांक	कार्य का विवरण	समयावधि
6	आवेदन फार्म की प्राप्ति क्षेत्रीय/वार्ड कार्यालय से	कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
	आवेदन फार्म का जमा किया जाना	उसी दिन प्रातः 11.00 से शाम 4.00 बजे
	आवेदन की पावती	उसी समय
	आवेदन में कमियों की सूचना दिया	आवेदन की दिनांक से 10 दिवस भीतर
	कनेक्शन हेतु फीस जमा करने के लिये चालान जारी किया जाना	आवेदन की दिनांक से 25 दिवस के भीतर
	चालान अनुसार नगर पालिका कोष में फीस का जमा किया जाना	आवेदक के द्वारा जमा की जावेगी
	कनेक्शन की स्वीकृति आदेश	फीस जमा करने की दिनांक से 3 दिनों में
	मार्ग काटने की स्वीकृति	आवेदन की दिनांक से 15 दिनों में

अतिरिक्त जलप्रदाय हेतु आवेदन :-

1	टैंकर के माध्यम से जलप्रदाय (जलप्रदाय व्यवस्था में खराबी आने पर)	तीन घन्टे के अंदर
	विवाह/अन्य कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त जल प्रदाय हेतु आवेदन	आवेदन कार्यक्रम की दिनांक से 15 दिन पूर्व

जलप्रदाय व्यवस्था संबंधी शिकायत :-

7	मेनपाइप लाईन में रिसाव/लीकेज/दूषितजल प्रदाय संबंधी शिकायत	48 घन्टों में सुधार, दो घन्टे के भीतर सुधार कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
	पम्पिंग स्टेशन में खराबी संबंधी शिकायत	उसी दिन प्रातः 6.00 से रात्री 10.00 बजे के दौरान सुधार 72 घन्टे में सुधार

सफाई संबंधी चार्टर :-

8	आवासीय क्षेत्रों एवं मार्गों की सफाई	सोमवार से शनिवार प्रातः 7 बजे से 2 बजे तक
	मार्केट क्षेत्र की सफाई	प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक एवं रात्री 9 बजे से 11 बजे तथा
	बाजार पुरानी बस्ती/सघन बाजार एवं आबादी क्षेत्र की सफाई	प्रातः 7 बजे से 2 बजे एवं शाम 7 बजे से रात्री 10 तक
	कचरा पेटी/ ट्राली से कचरा हटाया जाना	प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक
	कचरा हटाने संबंधी शिकायत का निराकरण	5 घन्टे में
	आवारा कुत्तों/सुअरों संबंधी समस्या का निराकरण	48 घन्टे में

जल मल निकासी संबंधी चार्टर:-

9	अवरोधों को हटाना	24 घन्टे में
	नालियों का सुधार	48 घन्टे में
	नालियों पर अतिक्रमण हटाना	72 घन्टे में
	नालों की सफाई	आवश्यकतानुसार

अध्याय- चार

नगर पालिक निगम उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढसंकल्प है। इसी श्रेणी में पारदर्शिता लाने, जन सामान्य के प्रति निकाय को उत्तरदायी बनाने के दृष्टिकोण से निगम निम्नानुसार सिटीजन चार्टर प्रस्तुत करती है।

सीटीजन चार्टर

भवन निर्माण अनुज्ञा एवं कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण तथा विकास अनुमति संबंधी चार्टर

1.	करों की वसूली के लिये	—	वित्तीय वर्ष की शत प्रतिशत
2	योजना करों के लिये	—	अंकित समय सीमा
3.	बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य	—	शत प्रतिशत